



उ० प्र० राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी

घतुर्थ तल, ए-ब्लॉक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010

दूरभाष : 0522-2720360, 2723947 फैक्स : 0522-2721135

Website : www.upsacs.nic.in

पत्रांक : एड्स सोसा०/GIPA/Misc/18/3323/2020

दिनांक 04/05/2020

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश

विषय: कोविड-19 संक्रमण को रोकने हेतु जारी लाकडाउन अवधि में एच०आई०वी० से ग्रसित व्यक्तियों को ए०आर०टी० केन्द्रों तक परिवहन हेतु अनुमति प्रदान किए जाने के संबन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि एच०आई०वी० से ग्रसित व्यक्तियों को ए०आर०टी० केन्द्रों से एक निश्चित समयावधि में औषधि प्राप्त कर निर्बाध रूप से उपयोग की प्राथमिकता है। उल्लेखनीय है कि अध्यक्ष, यू०पी०एन०पी० (उ०प्र० नेटवर्क फार पीपुल लिविंग विद एच०आई०वी०/ एड्स) द्वारा अवगत कराया गया है कि कोविड-19 संक्रमण को रोकने हेतु जारी लाकडाउन अवधि में एच०आई०वी० से ग्रसित व्यक्तियों को ए०आर०टी० केन्द्रों तक जाने के समय पुलिस द्वारा अवरुद्ध किया जा रहा है।

कृपया उपरोक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए समस्त संबन्धित अधिकारियों को एच०आई०वी० से ग्रसित व्यक्तियों के पास होने वाली ग्रीन बुकलेट को औषधि प्राप्त करने हेतु आवागमन पास के रूप में स्वीकार करने हेतु निर्देशित करें।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, गृह, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।

(पंकज कुमार)
परियोजना निदेशक

“एड्स को रोकेंगे, वादा निभाएंगे – मैं, आप और हम सब”